



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-149 राँची, सोमवार, 3 फाल्गुन, 1942 (श०)
22 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

09 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-89/2017-1432 (HRMS)-- श्री प्रताप टोप्पो, झां०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टंडवा, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3246, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-‘क’ में श्री टोप्पो के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किया गया है-

(i) दिनांक 20.04.2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टंडवा प्रखंड में कुल 861 लाभुकों का Account Verify हो चुका था, लेकिन मात्र 279 लाभुकों का ही एफ०टी०ओ० साईन किया गया। उक्त तिथि तक 582 लाभुकों का एफ०टी०ओ० साईन करना शेष था। दिनांक 25.04.2017 को आवास सॉफ्ट के आँकड़ों के अनुसार अभी भी 55 लाभुकों का एफ०टी०ओ० साईन करना शेष है, जबकि दिनांक 20.04.2017 को इसे शून्य करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया था।

(ii) दिनांक 25.04.2017 तक टंडवा प्रखंड में कुल 1084 इकाई आवास के विरुद्ध 1083 आवास का निबंधन हुआ है, लेकिन मात्र 987 का ही जियो टैग किया गया है।

(iii) श्री टोप्पो का उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8339, दिनांक 24.07.2017 द्वारा श्री टोप्पो से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्री टोप्पो के पत्रांक-508, दिनांक 06.09.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) दिनांक 20.04.2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये आदेश के आलोक में दिनांक 20.04.2017 को ही 582 लाभुकों में 563 लाभुकों का एफ०टी०ओ० कर दिया गया था। शेष 19 लाभुकों का A/C Reject होने के कारण एफ०टी०ओ० कर पाना संभव नहीं हुआ।

दिनांक 25.04.2017 को आवास सॉफ्ट के आँकड़ों के अनुसार 55 लाभुकों का एफ०टी०ओ० साईन शेष रहने के संबंध में स्पष्ट करना है कि 36 और लाभुकों को दिनांक 20.04.2017 के बाद स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका A/C Verification होते ही दिनांक 25.04.2017 के बाद एफ०टी०ओ० कर दिया गया है। इसी कारण $19+36=55$ लाभुकों का आवास सॉफ्ट में एफ०टी०ओ० लम्बित दिख रहा है।

(ii) इनके द्वारा यह भी कहा गया कि 96 लाभुकों का ससमय जियो टैग नहीं होने का मुख्य कारण लाभुक का स्थल पर समय पर उपस्थित नहीं रहना, जिस कारण दिनांक 25.04.2017 तक लम्बित रहा। दिनांक 25.04.2017 के बाद सभी लाभुको का जियो टैग हो चुका है एवं लम्बित शून्य है।

श्री टोप्पो के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9135, दिनांक 17.12.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3888, दिनांक 12.11.2020 द्वारा श्री टोप्पो के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टंडवा, चतरा का कहना है कि वे मुख्य सचिव के निदेशानुसार निर्धारित संख्या में एफ०टी०ओ० नहीं कर पाये, क्योंकि कुछ लाभुकों का खाता PFMS से रिजेक्ट हो चुका था। उनका यह कथन मान्य नहीं है, क्योंकि निबंधित लाभुकों के आधार पर आरोप पत्र गठित नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से उन्हीं मामलों में एफ०टी०ओ० की अपेक्षा की गई थी, जो PFMS से सत्यापित है। अतः यह मान्य नहीं है कि Account Verification होते ही एफ०टी०ओ० कर दिया गया।

(ii) सभी निबंधित लाभुकों का जियो टैग नहीं करने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कहना है कि लाभुक ससमय स्थल पर उपस्थित नहीं हुए, जब मुख्य सचिव का निदेश था तो लाभुकों को लाना एवं उनके साथ आवास बनने वाले स्थान की तस्वीर लेकर एम०आई०एस० में अपलोड करना प्रखंड प्रशासन की जवाबदेही थी, जिसमें वे असफल रहे। यह भी आश्चर्यजनक है कि दिनांक 25.04.2017 के बाद अचानक सभी लाभुक मिल गये तथा जियो टैग कर दिया गया। तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पक्ष में सहमत नहीं हुआ जा सकता।

श्री टोप्पो के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, श्री प्रताप टोप्पो, झां०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, टंडवा, चतरा को इस मामले में “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRATAP TOPPO 110081163853	श्री प्रताप टोप्पो, झां०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टंडवा, चतरा को इस मामले में “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
